27-08-24

पत्रावली पेश हुई। रैस्पोडेन्ट के अभिभाषक ने अपीलान्ट की ओर से मीमो आफ अपील के साथ प्रस्तुत किये गये दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र के संबंध में रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुये तर्क दिया कि रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में अपीलान्ट के द्वारा पेश की गई अपील के मियाद बाहर होने के आधार पर प्राथमिक एतराज प्रस्तुत किया गया है। अपीलान्ट की ओर से उप जिला कलक्टर गंगापुर सिटी की ओर से पारित आदेश दिनांक 05.07.2019 के विरूद्ध अदालत हाजा में दिनांक 26.11.2019 को अपील पेश की गई है। अपील पेश करने में हुये विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में अपीलान्ट की ओर से अपीलाधीन निर्णय की जानकारी पटवारी हल्का से दिनांक 14.11.2019 को होना बताया गया है। जबकि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन निर्णय अपीलान्ट के अधिवक्ता की उपस्थिति में ही पारित किया गया था। अदालत मातहत में निर्णय की दिनांक को अपीलान्ट की ओर से उपस्थित होकर बहस भी की गई है। उक्त निर्णय उभयपक्षकारान की उपस्थिति में पारित किया गया है। अधिवक्ता की जानकारी पक्षकार की जानकारी मानी जावेगी। इस तर्क के समर्थन में वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा 1989 आर.आर.डी. पेज 259 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला देते हुये तर्क दिया कि अपीलान्ट का यह कहना कि उसको निर्णय की जानकारी दिनांक 14.11.2019 को पटवारी हल्का के बतलाने पर हुई, गलत है और न ही इस आधार पर अपीलान्ट देरी को कंडोन कराने का अधिकारी है, क्योंकि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को शुरू से रही है तथा जहां निर्णय/आदेश अधिवक्ता की उपस्थिति में पारित किया गया है तथा अपील अन्दर मियाद पेश नहीं की गई है। ऐसे प्रकरण में मियाद को कंडोन नहीं किया जा सकता। इस तर्क के समर्थन में वकील अपीलान्ट ने 2022 (1) डी.एन.जे रैवन्यू पेज 374 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला दिया।

वकील रैस्पोडेन्ट ने यह भी तर्क दिया कि पक्षकार को प्रकरण की कार्यवाही की सूचना हेतु स्वयं को जागरूक रहना चाहिए। अपीलान्ट अधिवक्ता पर लापरवाही का आरोप लगाकर मियाद को कंडोन कराने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि पक्षकार का यह दायित्व नहीं है कि वह अपने अधिवक्ता के सम्पर्क में रहे तथा अपने प्रकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करता रहे। इस तर्क के

ecs 27.8.2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज रज्जो बनाम कानी देवी व अन्य अपील संख्या 492/23 (2023/520)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.08.2024	समर्थन में 2018 (1) आर.आर.टी. पेज 188, 2019 (2) आर.आर.टी. पेज 866 व 2008 (2) आर.आर.टी. पेज 1408 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का हवाला दिया। जिसमें यह अभिमत दिया गया है कि वकील पर लापरवाही करने की याचीगण को अनुमति नहीं दी जा सकती। मुव्वकिल को स्वयं पर्याप्त जागरूक होना चाहिए और कार्यवाहियों के बारे में जानकारी रहनी चाहिए। अभिभाषक से सम्पर्क रखने का पक्षकार का दायित्व है। उक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में भी अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। इसी तरह अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में प्रस्तुत किये गये दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 14.11.2019 को पटवारी हल्का से होना बताया गया है, परन्तु उक्त प्रार्थना पत्र के साथ पटवारी हल्का का कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। शपथ पत्र के अभाव में भी अपीलान्ट मियाद को कंडोन कराने का अधिकारी नहीं है। उक्त तर्क के समर्थन में वकील रैस्पोडेन्ट ने 1990 आर.आर.डी. पेज 545 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला दिया। वकील रैस्पोडेन्ट ने यह तर्क दिया कि मियाद का बिन्दु एक क्षेत्राधिकार के बिन्दु को तय करता है। इसलिये मियाद की कठोरता से पालना किया जाना कानूनन आवश्यक है। बिना दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के निस्तारण की अपील इनकाम्पीटेन्ट है। विलम्ब से प्रस्तुत की गई अपील के संबंध में प्रत्येक दिन का स्पष्ट व उचित कारण बताया जाना आवश्यक है। इसके अभाव में एक दिन के विलम्ब को भी कंडोन नहीं किया जा सकता है। इस तर्क के समर्थन में 2010 आर.बी.जे. पेज 289 एच.सी., 2014 (1) आर.आर.टी. पेज 154 एस.सी., 2024 (1) आर.आर.डी. पेज 653 एस.सी. (डी.बी.) में उद्धरित निर्णयों का हवाला दिया। उक्त नजीरों में माननीय रास्थान उच्च न्यायालय द्वारा 3 दिन के, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 4 दिन के विलम्ब को पर्याप्त व स्पष्ट कारण के अभाव में अपीलों को खारिज किये जाने का आदेश दिया है। उपरोक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य है। चूंकि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील अपीलान्ट द्वारा अदालत हाजा में 3 माह 15 दिन के विलम्ब से अपील पेश की गई है तथा अपील विलम्ब से पेश करने के संबंध में दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में जो कारण बताये गये हैं, वे न तो पर्याप्त व उचित हैं व न ही मानने योग्य हैं तथा अपीलान्ट की ओर से रैस्पोडेन्ट के द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब व काउन्टर शपथ पत्र के संबंध में भी ऐसा कोई दस्तावेज अदालत हाजा में प्रस्तुत नही किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि उन्हें अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 14.11.2019 से पूर्व नहीं रही हो। अतः रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र व प्राथमिक एतराज को स्वीकार कर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने के आधार पर खारिज की जावे। रैस्पोडेन्ट के अभिभाषक द्वारा प्राथमिक एतराज संबंधी प्रार्थना पत्र पर की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुये वकील अपीलान्ट ने तर्क दिया कि सरपंच ग्राम पंचायत खूंटला सलोना की ओर से स्वीकृत किये गये नामान्तकरण संख्या 190 दिनांक 20.07.2004 के विरूद्ध रैस्पोडेन्ट की ओर से उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी के न्यायालय में लगभग 13 वर्ष के विलम्ब से अपील पेश की गई थी। अदालत मातहत द्वारा 13 वर्ष के विलम्ब को बिना किसी पर्याप्त व उचित कारण के अभाव में कंडोन किया गया है। जबकि अपीलान्ट की ओर से केवल 2 माह के विलम्ब से ही अपील अदालत हाजा में पेश की गई है। इसलिये वकील रैस्पोडेन्ट की ओर से की गई यह प्राथमिक आपत्ति की अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आर.आर.डी. 1998 पेज 319 पर उद्धरित निर्णय में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अपीलीय न्यायालय को किसी भी अपील को मियाद के बिन्दु पर खारिज किये जाने से पूर्व प्रकरण के गुणावगुण पर अवश्य विचार करना चाहिए। मियाद के बिन्दु पर अपील उसी स्थिति में खारिज की जानी चाहिए जब अपील गुणावगुण के आधार पर चलने योग्य नहीं हो। उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी की ओर से पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.07.2019 क्षेत्राधिकार के बाहर होने के कारण अवैध व शून्य प्रभाव लिये हुये है। अवैध व शून्य प्रभाव लिये हुये आदेश के संबंध में मियाद का बिन्दु लागू नहीं होता है। अपीलाधीन निर्णय के द्वारा उपखण्ड अधिकारी	

हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज
रज्जो बनाम कानी देवी व अन्य
अपील संख्या 492/23 (2023/520)

तारीख हुक्म	
27.08.2024	गंगापुर सिटी के द्वारा विरासत के बिन्दु को तय करने हेतु तहसीलदार को प्रेषित किया गया है। जबकि विरासत के बिन्दु को तय करने का अधिकार नामान्तकरण स्वीकृत करने वाले अधिकारी को नहीं है। अपीलान्ट की ओर से अदालत मातहत में प्रस्तुत अपील के साथ दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत कर स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 14.11.2019 को पटवारी हल्का के माध्यम से हुई है। नियमों में ऐसा कोई आदेशात्मक प्रावधान नहीं है। जिसके तहत जानकारी के स्रोत का शपथ पत्र दिया जाना आवश्यक हो। वकील रैस्पोडेन्ट की ओर से बहस में वर्णित विभिन्न नजीरें उपरोक्त प्रकरण के तथ्य भिन्न होने के कारण इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती हैं। अतः रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्राथमिक एतराज संबंधी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का आदेश दिया जावे। रिब्यूटल में पुनः वकील रैस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि वकील अपीलान्ट की ओर से दिया गया यह तर्क कि रैस्पोडेन्ट के द्वारा अदालत मातहत में 13 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत की गई अपील को स्वीकार किये जाने के कारण अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में प्रस्तुत की गई अपील को अन्दर मियाद शुमार की जावे, मानने योग्य नहीं है। रैस्पोडेन्ट की ओर से अदालत मातहत में प्रस्तुत अपील के साथ दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसका अपीलान्ट की ओर से न तो कोई जवाब पेश किया गया और न ही कोई काउन्टर शपथ पत्र ही प्रस्तुत किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि रैस्पोडेन्ट को ग्राम पंचायत की ओर से तस्दीक किये गये नामान्तकरण के बारे में दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक के पूर्व से जानकारी रही हो। इसलिये उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी द्वारा रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत किये गये दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र के आधार पर अपील को अन्दर मियाद माने जाने का आदेश पारित किया है। जिसमें कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं है। अतः वकील अपीलान्ट द्वारा दिया गया यह तर्क कि उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी द्वारा रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत की गई अपील को अन्दर मियाद माना जाकर निर्णय पारित किया गया। इसलिये अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को भी अन्दर मियाद माना जाये, उचित नहीं है, क्योंकि उपरोक्त प्रकरण में रैस्पोडेन्ट की ओर से अपीलान्ट के द्वारा अदालत हाजा में पेश की गई अपील के साथ संलग्न दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र का जवाब तथा शपथ पत्र के संबंध में काउन्टर शपथ पत्र पेश किया है तथा बहस के दौरान माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ओर से पारित विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का हवाला भी दिया है, जिनमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि अपील विलम्ब से पेश किये जाने पर यदि 1 दिन का विलम्ब भी है तो इसके संबंध में पर्याप्त व उचित कारण नहीं बताया गया है तो अपील को अन्दर मियाद नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.07.2019 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी ने ग्राम पंचायत खूंटला सलोना की ओर से स्वीकृत किये गये नामान्तकरण संख्या 190 दिनांक 20.07.2004 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार गंगापुर सिटी को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया है कि मृतक छीतर पुत्र भोरया बागरिया के वारिसान को सुनकर विधि अनुसार उनके नाम नामान्तकरण दर्ज करने की कार्यवाही करें। सुनवाई हेतु उभयपक्षकारान को भी दिनांक 31.07.2019 को तहसीलदार गंगापुर सिटी के न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये गये थे। इस प्रकार अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील गुणावगुण के आधार पर भी निरस्तनीय है। अतः रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्राथमिक एतराज संबंधी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत अपील को मियाद के बिन्दु पर खारिज किया जावे। रैस्पोडेन्टस व अपीलान्टस के विद्वान अभिभाषकगण की रैस्पोडेन्टस की ओर से प्रस्तुत प्राथमिक एतराज संबंधी प्रार्थना पत्र दिनांक 06.09.2023 पर बहस सुनी गई व मनन किया गया। उपरोक्त प्रकरण में अपीलान्टस की ओर से उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी के द्वारा पारित किये गये निर्णय दिनांक 05.07.2019 के विरूद्ध अदालत हाजा में दिनांक 26.11.2019 को मियाद बाहर अपील पेश की गई है। अपील के साथ दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 14.11.2019 को

27.8.2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज रज्जो बनाम कानी देवी व अन्य अपील संख्या 492/23 (2023/520)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.08.2024	पटवारी हल्का से होने, दिनांक 15.11.2019 को नकल हेतु आवेदन करने व दिनांक 18.11.2019 को नकल मिलने पर जानकारी होने की दिनांक से अन्दर मियाद अपील पेश किये जाने का उल्लेख किया गया है। प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। इस प्रार्थना पत्र का रैस्पोडेन्ट की ओर से जवाब पेश करते हुये इस आशय की प्राथमिक आपत्ति की है कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज किये जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी की ओर से पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.07.2004 अपीलान्ट के अभिभाषक श्री रकम सिंह गुर्जर व रैस्पोडेन्टस के अभिभाषक श्री सतीश कुमार शर्मा की उपस्थिति में पारित किया गया है। उक्त निर्णय में उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी के द्वारा ग्राम पंचायत खूंटला सलोना की ओर से स्वीकृत किये गये नामान्तकरण संख्या 190 दिनांक 20.07.2004 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार गंगापुर सिटी को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि मृतक छीतर पुत्र भोरया बागरिया के वारिसों को सुनकर विधि अनुसार उनके नामान्तकरण दर्ज करने की नियमानुसार कार्यवाही करें। सुनवाई हेतु पक्षकारान दिनांक 31.07.2019 को तहसीलदार गंगापुर सिटी के न्यायालय में उपस्थित हों। इससे स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी की ओर से पारित किये गये निर्णय दिनांक 05.07.2019 की जानकारी अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के अभिभाषकगण को थी। इस संबंध में वकील रैस्पोडेन्ट्स की ओर से बहस के दौरान प्रस्तुत की गई नजीर 2022 (1) डी.एन.जे रैवन्यू पेज 374 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त जिसमें यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि जहां निर्णय अधिवक्ता की उपस्थिति में पारित किया गया हो वहां मियाद कंडोन नहीं किया जा सकता है। अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में प्रस्तुत अपील व दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 14.11.2019 को पटवारी हल्का से होने का उल्लेख किया गया है, जो कि उपरोक्त तथ्य के विरोधाभासी है। वकील रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत नजीर 1989 आर.आर.डी. पेज 259 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादि सिद्धान्त भी उल्लेखनीय है। जिसके अनुसार अभिभाषक की जानकारी को पक्षकार की जानकारी माना गया है। इसी प्रकार 2018 (1) आर.आर.टी. पेज 188, 2019 (2) आर.आर.टी. पेज 866, 2008 (2) आर.आर.टी. पेज 1408 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार भी वकील पर लापरवाही आरोपित करने की याचीगण को अनुमति नहीं दी जा सकती है, मुव्वकिल को स्वयं पर्याप्त जागरूक होना चाहिए व कार्यवाही के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। उक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में भी अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद संबंधी बिन्दु पर चलने योग्य नहीं है। अपीलान्ट की ओर से दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 14.11.2019 को पटवारी हल्का से बताये जाने पर होने का उल्लेख किया है तथा इसके समर्थन में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। दूसरी ओर रैस्पोडेन्ट की ओर से अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी निर्णय की दिनांक से ही होने का उल्लेख जवाब प्रार्थना पत्र व काउन्टर शपथ पत्र में किया गया है। यदि एक क्षण के लिये यह भी मान लिया जावे कि अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 14.11.2019 को पटवारी हल्का से हुई है तो भी उपरोक्त कथन इसलिये मानने योग्य नहीं है, क्योंकि उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी की ओर से पारित निर्णय दिनांक 05.07.2019 की प्रति पालनार्थ तहसीलदार गंगापुर सिटी को उपखण्ड अधिकारी कार्यालय की ओर से भिजवाये जाने पर तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान को तलबी हेतु नोटिस जारी किया गया। तहसीलदार गंगापुर सिटी के कार्यालय से जारी किये गये नोटिस के क्रम में अपीलान्ट रज्जो देवी तहसीलदार गंगापुर सिटी के कार्यालय में दिनांक 06.11.2019 को उपस्थित हुई है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार गंगापुर सिटी के कार्यालय से प्राप्त हुई उपरोक्त प्रकरण की पत्रावली की दिनांक 06.11.2019 की आदेशिका पर अपीलान्ट रज्जो देवी की हो रही अगूंठा निशानी से हो रही है। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट को उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी की ओर से पारित निर्णय दिनांक 05.07.2019 की जानकारी दिनांक 06.11.2019 को हो चुकी थी। इसके बाबजूद अपीलान्ट द्वारा अदालत हाजा में प्रस्तुत अपील के साथ संलग्न दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में निर्णय की जानकारी दिनांक 14.11.2019 को पटवारी हल्का से होने का उल्लेख किया गया है, जो कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर गलत साबित हो जाता है। इस संबंध में	

हुक्म या कार्यवाही इनीशियल्स

रज्जो बनाम कानीं देवी व अन्य

अपील संख्या 492/23 (2023/520)

तारीख हुक्म	
27.08.2024	वकील रैस्पोडेन्ट की ओर से बहस में वर्णित नजीर 2010 आर.बी.जे. पेज 289 पर उद्धरित निर्णय में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि जहां पर अपील विलम्ब से पेश करने के संबंध में पर्याप्त व उचित कारण नहीं बताया गया उस प्रकरण में 3 दिन के विलम्ब को भी माफ नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार 2014 (1) आर.आर.टी. पेज 154 पर उद्धरित निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि परिसीमा का कानून पूर्ण कठोरता से लागू करना चाहिए। साम्य आधारों पर परिसीमा काल विस्तार करने हेतु न्यायालय को शक्ति प्राप्त नहीं है। उक्त प्रकरण में भी 4 दिन के विलम्ब को भी माफ नहीं किया गया। इसी तरह 2024 (1) आर.आर.टी. पेज 653 पर उद्धरित निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि विलम्ब से प्रस्तुत की गई अपील को उसी स्थिति में स्वीकार किया जा सकता है। जबकि विलम्ब के लिये पर्याप्त व उचित कारण बताये गये हों। जबकि उपरोक्त प्रकरण में प्रथम तो अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी की ओर से पारित किये गये निर्णय दिनांक 05.07.2019 से ही मानी जावेगी तथा यदि अपीलान्ट के कथन को भी मान लिया जावे तो भी उक्त निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को तहसीलदार गंगापुर सिटी के न्यायालय में दिनांक 06.11.2019 को हो चुकी थी। जबकि अदालत हाजा में प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में दिनांक 14.11.2019 को पटवारी हल्का से होने का बताया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में अपील विलम्ब से पेश किये जाने के संबंध में विलम्ब का कोई पर्याप्त व उचित कारण नहीं बताया है, जो कि आवश्यक है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील के संबंध में रैस्पोडेन्ट के द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब व प्राथमिक आपत्ति के आधार पर मियाद संबंधी बिन्दु पर चलने योग्य नहीं है। जहां तक वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में दिया गया यह तर्क कि रैस्पोडेन्ट के द्वारा अदालत मातहत में 13 वर्ष के विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई थी। जिसे अदालत मातहत द्वारा स्वीकार किया गया है। इस आधार पर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को भी अन्दर मियाद मानकर शुमार किया जावे तो इस संबंध में हमारा अभिमत यह है कि रैस्पोडेन्ट के द्वारा उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी के न्यायालय में प्रस्तुत की गई प्रथम अपील के साथ अपील पेश करने में हुये विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसका अपीलान्ट की ओर से कोई जबाव या काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी के द्वारा रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत की गई अपील को अन्दर मियाद मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जबकि उपरोक्त प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से मीमो आफ अपील के साथ प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र के संबंध में रैस्पोडेन्ट के द्वारा जवाब पेश करते हुये काउन्टर शपथ पत्र पेश करते हुये अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील के मियाद बाहर होने के आधार पर मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने का अनुरोध किया है। इसलिये रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जा रहा है। इसी तरह वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में वर्णित नजीर आर.आर.डी. 1998 पेज 319 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का जहां तक प्रश्न है तो उक्त सिद्धान्त से हम सादर सहमत हैं। उक्त नजीर के परिप्रेक्ष्य में अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.07.2019 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी द्वारा ग्राम पंचायत खूंटला सलोना की ओर से स्वीकृत किये गये नामान्तकरण संख्या 190 दिनांक 20.07.2004 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार गंगापुर सिटी को मृतक खातेदार के विधिक वारिसान की जॉच कर पुनः नामान्तकरण खोले जाने का आदेश दिया है। जिसकी पालना में तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा उभयपक्षकारान को नोटिस जारी किये जाने पर उभयपक्षकारान अदालत मातहत में उपस्थित भी हो चुके हैं। अतः उपरोक्त नजीर में प्रतिपादित सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में भी अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज किये जाने योग्य है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज रज्जो बनाम कामी देवी व अन्य अपील संख्या 492/23 (2023/520)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.08.2024	अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्राथमिक एतराज के आधार पर अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत अपील को मियाद के बिन्दु पर इसी स्तर पर खारिज किये जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 27.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (साँवर मल वर्मा) संभागीय आयुक्त भरतपुर	